Government of India

Ministry of Environment, Forest and Climate Change

Regional Office, Gandhinagar, 3rd Block, 5th Floor, F2, Sector - 10a, Karmyogi Bhawan, Gandhinagar (Gujarat)- 382010 Email: Iro.gandhingr-mefcc@gov.in, Tel No. +9179-29613951

सत्यमेव जयते

Online Proposal No.: FP/RJ/ROAD/468024/2024 Dated: 26/06/2025

To,

Principal Secretary (Forest and Environment),
Department of Forest and Wildlife
Government of Rajasthan,
Vaniki Path, Near Secretariat
Jaipur-302005 (Rajasthan).

Subject: **Proposal for non-forestry use of 3.808 ha of forest land under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of M/s PUBLIC WORKS DEPARTMENT JHALAWAR for Jhalawar Territorial Division in JHALAWAR Forest Division, District (RAJASTHAN) – reg.**

Sir/Madam,

I am to refer to the online proposal no. FP/RJ/ROAD/468024/2024 dated 01/04/2024 on the above-mentioned subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with section '2' of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and to say that the proposal has been examined by the Central Government under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.

After careful consideration and approval of the proposal by the Central Government, I am to convey the **"In-Principle/Stage-I"** approval of the Central Government under section '2' of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for the proposal for non-forestry use of 3.808 ha of forest land under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of M/s PUBLIC WORKS DEPARTMENT JHALAWAR for Jhalawar Territorial Division in Forest Division, District JHALAWAR (RAJASTHAN) subject to the fulfillment of the following conditions:

1. General Conditions

| S. No | Conditions |
|---|---|
| 1.1 | Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged |
| 1.2 | The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of India toposheet of 1:50,000 scale |
| 1.3 | The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years |
| 1.4 | The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard |
| 1.5 | At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India |
| 1.6 | All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/ demarcation of safety zone, shall be transferred to Ad-hoc CAMPA in the Savings Bank Account pertaining to the State concerned |
| 1.7 | The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required |
| 1.8 | The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar |
| 1.9 | The User agency, if required, will undertake comprehensive soil conservation measures in the area being diverted at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same may be submitted along with the compliance report |
| 1.10 | No labour camp shall be established on the forest land |
| 1.11 | The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas |
| 1.12 | The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal |
| 1.13 | The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government |
| 1.14 | The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government |
| 1.15 | No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused |
| 1.16 | The State Government shall complete settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted in accordance with the relevant guidelines issued by the MoEF |
| 1.17 | The User Agency shall submit six monthly self-compliance reports as on 1st January and 1st July of every year to this office as well as to the Nodal Officer of the State |
| 1.18 | The State Government shall monitor compliance of conditions of Forest Clearance and shall submit in this regard yearly report as on 31st December of every year |
| 1.19 | Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife |
| 1.20 | The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project |
| 1.21 | Grant of working permission to the extant proposal may be considered by the State Government in accordance with the provisions as contained in the MoEF&CC's Guidelines dated 28.08.2015 |
| 1.22 | Compensatory afforestation over the degraded forest land double in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency; Or Compensatory afforestation over the non-forest land equal in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency |
| 1.23 | The non-forest land identified for raising compensatory afforestation shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department before issue of the Stage-II clearance |
| 1.24 | The non-forest land transferred and mutated in favour of the State Forest Department shall be notified by the State Government as RF under Section-4 or PF under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the local Forest Act, 1927 latest within a period of six months from the date of issue of Stage--II approval. The Nodal Officer shall report compliance in this regard along with a copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, as the case may be, within the stipulated period to the Central Government for information and record |
| 1.25 | **No tree felling shall be involved in the implementation of this project.** |
| 1.26 | **Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 3.808 ha non-forest land, Compartment No. 1010/892, Village- Gadari, Range- Jhalawar, Tehsil- Jhalrapatan, District- Jhalawar of Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.** |

2. Standard conditions

| S. No | Conditions |
|---|---|
| 2.1 | The user agency shall arrange to raise strip plantation on either side of the road and central verge at project cost, as per IRC specification, with maintenance of 7-10 years. The user agency shall also submit design of providing at least 2-3 rows of long rotation indigenous trees, as per provision of IRC-SP-21-2009 (Guidelines on landscaping & tree plantation), on either side of the road before final clearance. |
| 2.2 | The reclamation of quarry should be done under the supervision of the State Forest Department. The quarry shall be reclaimed and afforested completely before the project is closed. |
| 2.3 | Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the hill slopes. |
| 2.4 | The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable. |
| 2.5 | The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same shall be submitted to the Regional Office along with the Stage-I compliance report; |
| 2.6 | The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals |

3. Specific Conditions

| S. No | Conditions |
|---|---|
| 3.1 | *The User Agency shall construct underpasses of 5-meter height and 5 meters wide at every 500 meters along the length of the road in forest land for safe passage of the animals or as proposed by the State Forest Department.* |
| 3.2 | *The User Agency shall construct 6 feet high wall along the boundaries of the non-forest land proposed for CA.* |
| 3.3 | *User Agency shall provide at its cost the required number of Solar Pumps as given by the Forest Department for irrigating the CA plantation.* |
| 3.4 | *The User Agency shall also plant 1000 Ficus religiosa (Peepal)/Ficus bengalensis (Bargad) trees on the side of the road at its cost.* |

After receipt of compliance report on fulfillment of all the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under section '2' of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. The User Agency shall take up the work as per the guidelines in force and after ensuring that all necessary clearances for the entire stretch are in place. Working permission, if any issued, shall be intimated to RO, Gandhinagar. Transfer of forest land shall not be affected till final approval is granted by the Central Government in this regard. Further, it may also be noted that this In-principle/Stage-I approval shall be valid for a period of 2 years from the date of issue of this letter. In the event of non-compliance of the above conditions, this In-principle approval shall be revoked after two (02) years.

Your's faithfully

(Shrawan Kumar Verma)
Regional Officer/Head of Department
Regional Office, Gandhinagar
MoEF&CC, Govt of India

DIPR/C/11734/2025

# टैरिफ नीति के विरोध में स्वदेशी जागरण मंच ने निकाली रैली

■ स्वदेशी उत्पादों के समर्थन में पत्रक वितरित

**कोटा,** (निसं)। स्वदेशी जागरण मंच, कोटा महानगर द्वारा गुरूवार को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत पर थोपे गए 50 प्रतिशत अन्यायपूर्ण टैरिफ़ नीति के विरोध में एक शांतिपूर्ण रैली का आयोजन किया गया। कोटा महानगर संयोजक मन शर्मा ने बताया कि रैली सर्किट हाऊस मेन रोड से प्रारम्भ होकर कलेक्टर पहुंची रैली में बरसात के बावजूद भी जनसमूह के उत्साह और जज़्बे में कोई कमी नहीं आई, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इसमें भी विशेष तौर से महिलाओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही, जिन्होंने स्वदेशी अभियान को अपना पूरा समर्थन दिया।

शर्मा ने बताया कि यह जन आंदोलन केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य स्वदेशी, स्वरोजगार और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में समाज को प्रेरित करना है। शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को भारतीय (स्वदेशी) उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित करना और विदेशी सामान का बहिष्कार करने का संदेश देना है। वही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि, अगर हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो हमें अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना होगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और देश की तरक्की की रफ्तार भी बढ़ेगी।

विदेशी कंपनियों से हो रहा नुकसान-वक्ताओं ने बताया कि विदेशी कंपनियां भारत से मुनाफा कमाकर अपने देश को मजबूत कर रही हैं। इसका नुकसान भारत के छोटे व्यापारियों और स्थानीय उत्पादों को हो रहा है। इसलिए नागरिकों को चाहिए कि वे विदेशी चीजों का इस्तेमाल कम करें। रैली में मुख्य रूप से मन शर्मा, राजेंद्र शर्मा, अनीता मीना, शुभम् शर्मा, निशा हाड़ा, दीपक, जसवंत, स्मिता, राकेश, सोनम पुरोहित सहित बड़ी संख्या में युवा एवं मातृशक्ति उपस्थिति रही।

# कजली तीज मेले में स्कूली बच्चों ने रंग जमाया

**बूंदी।** कजली तीज मेला मंच पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें कई स्कूली बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के.पाटन पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल, नगर परिषद बूंदी के पूर्व सभापति महावीर मोदी , भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अखिलेश जैन तथा भूरा गणेश महोत्सव 2025 समिति संयोजक महावीर जैन रहे कार्यक्रम की शुरुआत में सभी अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई अतिथियों के स्वागत की बेला में नगर परिषद सभापति व मेला संयोजक सरोज अठावाल, नगर परिषद आयुक्त धर्मेंद्र मीणा,मेला समिति के सदस्य व वार्ड पार्षद बबीता दाधीच,कल्पना सैन,दिलबर बाई भील,संध्या रावल, किरण परिहार , संदीप यादव, मनीष सिसोदिया, संजय शर्मा,भंवर कंवर,कस्तूरी बाई, त्रिलोक कुमावत, हरिशंकर सैनी, नवीन सिंह,सुरेश परिहार ,गोलू नायक,ओम जांगिड़, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष नूपुर मालव,भाजपा जिला प्रवक्ता निर्मल मालव, दिलीप सिंह राजावत ,पूर्व पार्षद राजेश शेरगड़िया आदि पार्षद गण मौजूद रहे सभी अतिथियों का माला,शॉल व साफा बंधवाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता राजकुमार दाधीच ने किया कजली तीज मेला मंच पर 89 स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें सभी स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों का एकल डांस में 68, समूह डांस में 4 ,युगल डांस में 12 तथा एकल गान 5 छात्र-छात्राएं सम्मिलित रही।


**NAME CHANGE**

I MAHESH NAMA S/O RAGHUNANDAN NAMA R/O Chhipon Ka Mohalla Sangod Kota Rajasthan-325601 changed my name to TANVAY NAMA.

DEPONENT

**नाम परिवर्तन**

मैंने अपना पुराना नाम MOHD IRFAN ANSARI S/O MOHD YUNUS ANSARI से बदलकर नया नाम MOHAMMAD IRFAN ANSARI S/O MOHAMMAD YUNUS ANSARI रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-मोहम्मद इरफान अन्सारी पुत्र मोहम्मद युनुस अन्सारी 272 बी वक्फ नगर दादाबाड़ी कोटा


## चिकित्सक, शोधकर्ता एवं शिक्षाविद् जुटेंगे कोटा में

**कोटा,** (निसं)। क्लिनिकल कार्डियो-डायबिटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया (सीसीडीएस आइकॉर्न 2025) की 9वीं राष्ट्रीय कान्फ्रेंस 23 और 24 अगस्त 2025 को मुकंदरा सरोवर प्रीमियर, कोटा में आयोजित कि जाएगी। 550 से अधिक पंजीकरणों के साथ, इस सम्मेलन में देश भर के चिकित्सकों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं की व्यापक भागीदारी रहेगी। कान्फेंस अध्यक्ष डॉ.गिरीश माथुर ने बताया कि इस कार्यक्रम में 76 से ज्यादा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संकाय सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा, जिसमें हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी। शैक्षणिक गतिविधियों में तीन प्रतिष्ठित व्याख्यान शामिल होंगे, जिसमें अध्यक्षीय व्याख्यान, सीसीडीएसआई व्याख्यान और डॉ.ए.एन.राय व्याख्यान-साथ ही पूर्ण सत्र व्याख्यान, विशेषज्ञ पैनल चचाएं होंगी। वैज्ञानिक सत्र के अध्यक्ष डॉ. के.के. पारिक ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. ज्योतिर्मय पाल, अध्यक्ष एपीआई, सम्मानित किया।

# झूलेलाल चालीहा महोत्सव में मुख्य आरती 23 को

■ विज्ञान नगर झूलेलाल मंदिर के चालीहा महोत्सव में लोकसभा अध्यक्ष होंगे मुख्य अतिथि

**कोटा,** (निसं)। पूज्य सिन्धी पंचायत समिति, विज्ञान नगर की ओर से विज्ञान नगर स्थित झूलेलाल मंदिर में विगत 16 जुलाई से आयोजित किए जा रहे झूलेलाल चालीहा महोत्सव के समापन से पूर्व आयोजित मुख्य आरती में 23 अगस्त को सायं 7 बजे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आरती की शुरुआत करेंगे। कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा आरती में उनके साथ होंगे।

इसी कड़ी में गुरूवार को संदीप शर्मा, विधायक, कोटा दक्षिण एवं विवेक मित्तल, पार्षद द्वारा मंदिर के नवनिर्मित सिंह द्वार का उद्घाटन भी किया गया साथ ही एक पेड़ मां के नाम से मंदिर के पीछे स्थित श्री झूलेलाल पार्क में वृक्षारोपण भी किया गया साथ ही 251 बाधित बच्चों को स्नेह भोज भी कराया गया। महासचिव महेश रूपचन्दानी ने बताया कि चालीहा साहिब पर्व बड़े ही धूमधाम से 16 जुलाई को शुरू हुआ और 40 दिन तक मनाने के उपरांत 25 अगस्त को ध्वजारोहण के साथ संपन्न होगा। रूपचन्दानी ने कहा कि इन 40 दिनों में बड़ी संख्या में सिंधी समाज के साथ-साथ अन्य सभी समाज के बंधु आकर पूजा करते हे ओर प्रसाद ग्रहन करते हे, रोज शाम में मंदिर पर पूजा अर्चना, सत्संग उपरांत प्रसादी बांटी जाती है। इस त्यौहार का समाज में अपना विशेष महत्व हे, इन 40 दिन तक आराध्य देव श्री झूलेलालजी आराधना की जाती है और साथ ही सात्विक भोजन किया जाता हैं, यह करने पर यह माना जाता हे कि भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मटकी जल यात्रा (कलश यात्रा) निकलेगी, इस सम्बन्ध में पायल वीरवाणी ने बताया कि 101 महिलाओं द्वारा बड़े ही धूमधाम से बैंड-बाजों के साथ यात्रा निकली जाएगी जिसका समापन सांय 7 बजे श्री झूलेलाल मंदिर पर होगा, इसके लिए विशेष लट्ठ प्रदान भी रखा गया है। 24 अगस्त को सुबह 8 बजे बहराणा साहेब पूजा उसके बाद 12 से 3 अपरान्ह आम भंडारा रखा गया है इसके बाद समाज की शोभायात्रा सायं 5 बजे निकलेगी जो विज्ञान नगर के बाहर झालावाड़ रोड़ पर संपत होगी।

पंचायत धार्मिक के अलावा अन्य समाजी कार्यों भी करती है जिसमें विश्व रूप से हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन करना, गरीब परिवार को आर्थिक सहायत प्रदान करना, अपनी भाषा और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करना जिसमे विशेष रूप से ग्राहम काल में सिंधी भाषा के बढ़ावे हेतु पूरे कोटा में शिविर आयोजित करना, आराध्य देव की मूर्ति की हर घर स्थापना करना आदि शामिल हे। इस दौरान सुंदर दास दलवानी अध्यक्ष, विनोद अजवानी संरक्षक, शंकर अंबवानी संगठन मंत्री, लक्ष्मण अम्बवानी उपाध्यक्ष मौजूद थे।


**कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

क्रमांक:-1511 नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना दिनांक:-20.8.2025

नगर विकास न्यास कोटा की चाणक्यपुरी आवासीय योजना के भूखंड/आवास संख्या 240 का आवंटन/विक्रय/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 06.10.2003 को डॉ. श्री आर.पी. कोठारी पुत्र श्री पूर्णानंद को किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त भूखंड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री जितेन्द्र कुमार जैन एवं श्रीमती इन्द्रा जैन द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.08.2021 को श्रीमती पायल विजयवर्गीय पत्नी श्री जितेन्द्र विजयवर्गीय को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा उक्त भूखंड/आवास का अपने नामहस्तांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 240 योजना चाणक्यपुरी आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्रीमती पायल विजयवर्गीय पत्नी श्री जितेन्द्र विजयवर्गीय के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

**कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

क्रमांक:-338 नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना दिनांक:- 19.8.25

नगर विकास न्यास कोटा की श्रीनाथपुरम-बी आवासीय योजना के भूखण्ड/आवास संख्या 927 का आवंटन/विक्रय/हस्तान्तरण/रजि.न्यास के पत्र दिनांक 06.10.1995 को श्री शमशुद्दीन पुत्र श्री अब्दुल्ला को किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 18.02.2025 को श्रीमती शबाना खान पत्नी श्री अब्दुल अलीम खान को विक्रय कर दिया गया है। आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड का जर्ये मुख्तारआम श्री अब्दुल अलीम के पक्ष में निष्पादित किया गया था जो आवंटी द्वारा निरस्त कर दिया गया है अत: क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 927 योजना श्रीनाथपुरम-बी आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्रीमती शबाना खान पत्नी श्री अब्दुल अलीम खान के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

**कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

क्रमांक:-419 नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना दिनांक:-18.8.25

नगर विकास न्यास कोटा की विनोबा भावे नगर "निर्धन को आंगन" योजना के भूखंड/आवास संख्या 76 का आवंटन/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 28.01.2010 को श्री बंशीलाल बैरवा पुत्र श्री छीतरलाल को किया गया था। आवंटी श्री बंशीलाल बैरवा की मृत्यु दिनांक 05.09.2010 को हो चुकी है। मृत्यु उपरांत आवंटी के विधिक वारिसान द्वारा जरिये रिलीज डीड दिनांक 19.06.2017 को श्रीमती सुगना बाई पत्नी स्व. श्री बंशीलाल के नाम निष्पादित कर दी गई थी। रिलीज डीड ग्रहिता श्रीमती सुगना बाई द्वारा उक्त भूखंड का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.06.2017 को श्री सत्यनारायण नागर पुत्र स्व. श्री अर्जुन लाल जी को विक्रय कर दिया गया है। अत: क्रेता द्वारा उक्त भूखंड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 76 योजना विनोबा भावे नगर "निर्धन को आंगन" का नाम हस्तान्तरण श्री सत्यनारायण नागर पुत्र स्व. श्री अर्जुन लाल जी के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा


# मोदी लॉ कॉलेज में ओरिएंटेशन कार्यक्रम के साथ हुआ सत्र प्रारम्भ

**कोटा,** (निसं)। मोदी ग्रुप ऑफ़ इंस्टिट्यूशन द्वारा संचालित नयागांव स्थित मोदी लॉ कॉलेज द्वारा नवआगंतुक छात्र-छात्राओं के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप पूर्व डीन, विधि विभाग, कोटा विश्वविद्यालय डॉ. (प्रो.) अरूण कुमार शर्मा, सुशील मोदी चेयरमैन, मोदी ग्रुप ऑफ़ इंस्टिट्यूशन व राघव मोदी ग्रुप डायरेक्टर मोदी ग्रुप ऑफ़ इंस्टिट्यूशन उपस्थित रहे। प्रोफेसर अरुण शर्मा ने विधि विद्यार्थियों को विधि क्षेत्र में निरंतर प्रगतिशील रहने को कहा क्योंकि विधि क्षेत्र एक जीवंत विषय हैं। चेयरमैन सुशील मोदी ने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक कानूनी शिक्षा ग्रहण करने व विद्यार्थी और व्यवसायिक जीवन दोनो ही अपने में अनुशासित बने रहने के लिये प्रेरित किया। ग्रुप डायरेक्टर राघव मोदी ने बताया की बताया की महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात विधिवत रूप से विद्यार्थियों का सत्र ओरिएंटेशन प्रोग्राम के साथ प्रारंभ किया गया। ओरियंटेशन कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम, महाविद्यालय की गतिविधियां, भविष्य की संभावनाएं व परीक्षा संबंधित समस्त जानकारियां सत्र प्रारम्भ में ही दिया जाना है। संस्था की प्राचार्या डॉ.क्षिप्रा गुप्ता ने बताया की ओरिएंटेशन कार्यक्रम में सीनियर छात्र-छात्राओं ने अपने नए विद्यार्थियों का तिलक लगाकर, रंगोली बनाकर व मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया तथा महाविद्यालय व शिक्षा से जुड़े अपने अनुभव विद्यार्थियों के साथ साझा किया। विशेष रूप से छात्र मनु गुप्ता, कृति गौतम व मुस्कान राठौड़ ने अपने अनुभव साझा किए। एकेडमिक हेड शिल्पा खंडेलवाल ने विद्यार्थियों को एलएलबी व बीए एलएलबी के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम व परीक्षा पैटर्न सम्बंधित जानकारी दी। व्याख्याता संपदा गौतम ने विद्यार्थियों को विधि क्षेत्र में कैरियर की संभावनाओं के बारे में विस्तार से समझाया।कार्यक्रम का संचालन देवराज सिंह ने किया। महाविद्यालय की व्याख्याता डॉ अंसारी द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

## आमसभा 31 अगस्त को

**बूंदी।** श्री सर्राफ़ा संस्थान (रजिस्टर्ड) की कार्यकारिणी की एक आवश्यक बैठक बुधवार रात्रि को अध्यक्ष सत्यप्रकाश नूवाल मौजीकी अध्यक्षता में संपन्न हुई। संस्थान प्रवक्ता चिंतन नूवाल ने बताया कि आगामी 31 अगस्त रविवार को संस्थान की आमसभा का आयोजन करने का निर्णय सभी की सर्वसम्मति से लिया गया है। साथ ही पिछले दिनों में बूंदी सर्राफा संस्थान के कुछ सदस्यों को चोरी के मामले में बाहर की पुलिस द्वारा नाजायज रूप से बिना वजह परेशान करने के संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखित रूप से बूंदी आगमन पर ज्ञापन दिया जाने का प्रस्ताव लिया गया।

# शिक्षक अभिभावक संवाद कार्यक्रम

**बून्दी।** राजकीय कन्या महाविद्यालय, बून्दी में शिक्षक अभिभावक समिति के तत्वावधान में शिक्षक अभिभावक संवाद कार्यक्रम प्राचार्य डॉ. संदीप यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। यह कार्यक्रम विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय की छात्राओं के अभिभावकों तथा शिक्षकों के मध्य महाविद्यालय में अध्ययन, छात्राओं से सम्बन्धित अन्य समस्याओं तथा सुझावों के सम्बन्ध में आयोजित किया गया जिसमें अभिभावकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया छात्राओं तथा अभिभावको ने अध्ययन तथा अन्य सह-शैक्षिणक गतिविधियों के सम्बन्ध में अमूल्य सुझाव दिये। शिक्षक गणों में छात्राओं की समस्याओं को सुना तथा मौके पर समाधान करवाया। प्राचार्य डॉ. संदीप यादव ने बताया की इस तरह के संवाद कार्यक्रम अभिभावकों को संस्थान से जोड़ते है तथा छात्राओं की प्रगति पर नजर रखने में सहायता करते है। डॉ. आशुतोष बिरला ने संवाद कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला तथा विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया। डॉ. विनोद कुमार मीणा ने छात्राओं और अभिभावकों को विभिन्न छात्रवृा एवं स्कूटी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी मुस्कान गोदिका ने छात्राओं को स्वयं सेविका बनने हेतु प्रेरित किया।

# कार्यक्षेत्र में महिलाओं को अवसर और सम्मान मिले : सुधांश पंत

**कोटा,** (निसं)। जिला कलक्टर पीयूष समारिया की अध्यक्षता में गुरुवार को जिलास्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। इस जनसुनवाई में कुल 193 परिवाद दर्ज हुए जिनमें अतिक्रमण, स्वच्छता, पट्टा, विद्युत, पानी, कनेक्शन तथा कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को भूखंड का आवंटन पत्र जारी करने के निर्देश- जनसुनवाई में परिवादी शिवप्रसाद विजय ने बताया कि उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है तथा पुरुस्कृत शिक्षकों को आरक्षित दरों पर भूखंड आवंटित किए जाते हैं। उन्हें भूखंड का आवंटन तो हुआ है, लेकिन आवंटन पत्र अब तक प्राप्त नहीं हुआ। इस पर जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने कोटा विकास प्राधिकरण आयुक्त को तुरंत आवंटन पत्र जारी करने के निर्देश दिए।

परिवादी पीयूष चौधरी के दो-दो जन्म प्रमाण पत्र होने से आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में समस्या उत्पन्न हो रही थी। इस पर कलक्टर पीयूष समारिया ने मौके पर ही आईटी एवं सांख्यिकी विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए परिवादी को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग से जुड़े परिवादी नवीन गहलोत ने जनसुनवाई में बताया कि उन्हें न्यायालय से यह आदेश प्राप्त है कि शारीरिक रूप से विशेष योग्यजन होने के नाते उन्हें उनके घर के पास के ही स्कूल में पदस्थापित किया जाए। इस पर जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि न्यायालय के आदेशों की त्वरित पालना सुनिश्चित की जाए और परिवादी को शीघ्र राहत प्रदान की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों से आए परिवादियों ने रास्तों पर अतिक्रमण, पशु बांधने जैसी समस्याएं बताई तो वहीं शहरी क्षेत्र में कुछ इलाकों में कचरा नियमित न उठाने और स्ट्रीट लाईट खराब होने जैसी समस्याएं परिवादियों द्वारा बताई गईं। इस पर कलक्टर ने नगर निगम और कोटा विकास प्राधिकरण को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दीगोद से आए परिवादी घनश्याम के मामले में कलक्टर ने उपखंड अधिकारी को आदेश की कॉपी उपलब्ध कराने के निर्देश दिऐं। एक अन्य प्रकरण में परिवादियों ने बताया कि कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) द्वारा वर्ष 2022 में सीवरेज प्लांट तक सीवरेज लाईन, सर्विस रोड और रिटेनिंग वॉल निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन अब तक खातेदारान को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया। इस पर जिला कलक्टर ने सर्वे के आधार पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा राज्यहित सर्वोपरि, सेवाभाव और संवेदनशीलता के साथ काम करें। उन्होंने जनसुनवाई एवं संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रत्येक शिकायत का निस्तारण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण हो तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि परिवादी संतुष्ट हों। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई शिकायत लंबित है तो उसका कारण स्पष्ट हो और विभागीय स्तर पर तुरंत कार्यवाही की जाऐं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक अधिकारी राज्यहित को सर्वोपरि रखते हुए बिना हिचक बड़े फैसले लें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गुड गवर्नेंस के ध्येय से जनता की सेवा कर रही है, इसलिए सभी अधिकारी और कार्मिक अपने कार्य में संवेदनशीलता, मानवीय पहलुओं तथा विनम्रता का परिचय दें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महिलाओं को सम्मान और अवसर सुनिश्चित किए जाऐ।


RIICO GROW WITH RAJASTHAN

राजस्थान सरकार का उपक्रम

RISING RAJASTHAN REPLETE • RESPONSIBLE • READY

औद्योगिक क्षेत्रों में संस्थानिक/ वाणिज्यिक/ ग्रुप हाउसिंग एवं गैर औद्योगिक भूखण्डों का

सरल ई-नीलामी के माध्यम से

आवंटन

अन्तिम 4 दिन शेष

| | |
|---|---|
| कुल भूखण्ड | 442 |
| अस्पताल/ नर्सिंग होम/ डिस्पेंसरी | 16 |
| व्यावसायिक भूखण्ड | 120 |
| आवासीय/ ग्रुप हाउसिंग | 79 |
| वे ब्रिज | 